

यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रामेश्वर ..... बनाम ..... दुर्गाप्रसाद

मुकदमा ..... वाद-पत्र ..... मु. नं० ..... २५१ ..... वर्ष ..... २०१३

दिनांक

आज्ञा पत्र

7/2/23

पत्रावली पेश हुई। मनीष/उपखण्ड हाजिर। पीएससी अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 19-12-23 को पेश हो।

4 12/23

मिशाल तलवी के आवेदन पर पत्रावली पेन्सी में ली गई। वकील वादीगण श्री विजय शर्मा व वकील प्रतिवादी गण श्री कल्याण सोनी उपस्थित। वादी संख्या 1-12 देवीप्रसाद उपस्थित तथा वादीगण 1-11 वा 1-14 की ओर से उनके मुख्यांश खरास देवीप्रसाद उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 देवीप्रसाद उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से उनके मुख्यांश खरास दुर्गाप्रसाद उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 04 के नारिसान प्रतिवादी संख्या 27 मनीष उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 24, 25, 26 व 28 की ओर से उनके मुख्यांश खरास मनीष उपस्थित। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री कल्याण सोनी द्वारा की गई। वादीगण व प्रतिवादीगण ने राबीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया व पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जो सही होना पाया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, प्रकरण को अभी नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वाह स्वयं पक्षकारों के अनुरोध एवं वकील उभयपक्ष की पहचान पर खारीज किया जाता है। पत्रावली आईन्दा पेश होने की जरूरत नहीं है। पत्रावली फैसल शुमा (होकर नम्बर) से कम हो। शाखिल इफ्तार ही। निर्णय आज मेरी हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सीकर

Dori Bhand  
Bhand  
Vamul

दुर्गा प्रसाद

Ramprakash Bhand  
& P. Bhand

Wamul